| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियलस जज मु.न. 02/2023 अपील बाबूलाल बनाम ग्राम पंचायत फतेहपुर | नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी |
|---|---|---|
| 7/8/24 | पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी स्वंय उपस्थित अप्रार्थी [illegible] व सरपंच Regd तामील उपरान्त नहीं आया अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 14/8/24 को पेश हो। [signature] | |
| 14/8/24 | पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 28/8/24 को पेश हो। [signature] | |
| 28/8/24 | पत्रावली पेश हुई। ~~अपील~~ प्रार्थी स्वंय उपस्थित बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 29/8/24 को पेश हो। [signature] | |
| 29/8/24 | पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी स्वंय उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के द्वारा दिनांक 14.03.2023 को स्वंय न्यायालय में उपस्थित होकर अपील इस आशय की पेश की है कि मुझ प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 251/0.10, 146/0.32, 151/0.27, 158/0.10, 58/1.12, 162/0.38, 185/0.32, 210/0.34, 245/0.16, 265/0.39, 353/0.15, 400/0.32, 36/0.08 वाके ग्राम मीह, प्रार्थी को पट्टेनामा दिनांक 30.03.1986 नंबर संख्या 732 ~~के~~ से प्राप्त हुई है। मुझ प्रार्थी का नाम सरल सा प्राप्त हुई है, मुझ प्रार्थी का मेरे सरल प्रचलन दस्तावेज के रूप मेरे पुत्रों की सरल प्रचलन दस्तावेजों में मेरा नाम बाबूलाल पुत्र प्रचलन सिद्ध है तथा गांव के बोल-चाल की भाषा में मुझ प्रार्थी को बंगाली कहते है इसलिए ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामान्तरण संख्या | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु.नं. 02/2023 अपील बाबूलाल बनाम ग्राम पंचायत फतेहपुर | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 732 के मुख्य प्रार्थी का नाम बाबूलाल के स्थान पर बंगाली दर्ज कर दिया गया है। अपील पेश कर निवेदन किया है कि अपील नामान्तकरण संख्या 732 दिनांक 30/3/1986 की प्रार्थी के हिस्से तक निरस्त कर बंगाली के स्थान पर बाबूलाल के नाम पुनः नामान्तकरण दर्ज की जाने की आज्ञा पारित की जावे।<br><br>अपील दर्ज रजि० की जाकर रैस्पोडेन्ट को पाबन्दि नोटिस तलब किया गया। रैस्पो० सं० 2, 3 व 5 ने हाजिर होकर जवाब पेश किया एवं अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने में कोई एतराज व्यक्त नहीं किया है रैस्पो० संख्या 4 बावजूद रजि० तामील हाजिर अदालत नहीं आया अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली के साथ उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी अपील आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।<br><br>अतः आज्ञा है कि :-<br><br>अपीलार्थी अपील आंशिक स्वीकार की जाती है एवं नामान्तरण संख्या 732 दिनांक 30.03.1986 की प्रार्थी के हिस्से तक ~~बि~~ निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार उच्चैन को नामान्तकरण रिमांड किया जाता है<br><br>तहसीलदार उच्चैन जांच एवं सुनवाई का उचित अवसर देते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर ~~से~~ कम होकर दाखिल दफ्तर हो।<br><br>sd/-<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>उच्चैन (भरतपुर) | |